बिहार सरकार
कृषि विभाग।

पत्र संख्या- 11/कृ.नि.भू.सं.(यो.)24/2014 1132 /भू0 सं0, पटना, दिनांक 9/3/2017

प्रेषक,

सुधीर कुमार भा0प्रा0से0
सरकार के प्रधान सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

(+) अनौपचारिक रूप द्वारा : वित्त विभाग, बिहार, पटना। (+) से परामर्शित।

विषय : केन्द्र प्रायोजित प्रधानमंत्री कृषि सिचाई योजना- जलछाजन विकास (IWMP) {2011-12 (Batch-III), 2012-13 (Batch-IV), 2013-14 (Batch-V) एवं 2014-15 (Batch-VI)} के लिए कुल 8,41,54,00,000/- रू0 {केन्द्रांश 7,57,39,00,000/- रू0 तथा राज्यांश 84,15,00,000/- रू0 (90:10)} की लागत से वर्ष 2012-13 से 2018-19 तक कार्यक्रम कार्यान्वयन की स्वीकृति के अधीन वर्ष 2016-17 के लिए भारत सरकार द्वारा विमुक्त की गई द्वितीय किस्त की राशि 09,07,00,000/- (नौ करोड़ सात लाख) रु0 (60%) एवं उसके समानुपातिक राज्यांश की राशि 06,04,70,000/- (छः करोड़ चार लाख सत्तर हजार) रु0 (40%) कुल 15,11,70,000/- रु0 (पंद्रह करोड़ ग्यारह लाख सत्तर हजार) में से अनुसूचित जाति वर्ग हेतु {केन्द्रांश 3,11,20,000/- (तीन करोड़ ग्यारह लाख बीस हजार) रु0 एवं राज्यांश 2,07,50,000/- (दो करोड़ सात लाख पचास हजार) रु0} कुल 05,18,70,000/- (पांच करोड़ अठारह लाख सत्तर हजार) रु0 वर्ष 2016-17 में निकासी एवं व्यय की स्वीकृति।

आदेश : स्वीकृत।

निदेशानुसार राज्य सरकार द्वारा केन्द्र प्रायोजित प्रधानमंत्री कृषि सिचाई योजना- जलछाजन विकास (IWMP) {2011-12 (Batch-III), 2012-13 (Batch-IV), 2013-14 (Batch-V) एवं 2014-15 (Batch-VI)} के लिए कुल 8,41,54,00,000/- रू0 {केन्द्रांश 7,57,39,00,000/- रू0 तथा राज्यांश 84,15,00,000/- रू0 (90:10)} की लागत से वर्ष 2012-13 से 2018-19 तक कार्यक्रम कार्यान्वयन की स्वीकृति के अधीन वर्ष 2016-17 के लिए भारत सरकार द्वारा विमुक्त की गई द्वितीय किस्त की राशि 09,07,00,000/- (नौ करोड़ सात लाख) रु0 (60%) एवं उसके समानुपातिक राज्यांश की राशि 06,04,70,000/- (छः करोड़ चार लाख सत्तर हजार) रु0 (40%) कुल 15,11,70,000/- रु0 (पंद्रह करोड़ ग्यारह लाख सत्तर हजार) में से अनुसूचित जाति वर्ग हेतु {केन्द्रांश 3,11,20,000/- (तीन करोड़ ग्यारह लाख बीस हजार) रु0 एवं राज्यांश 2,07,50,000/- (दो करोड़ सात लाख पचास हजार) रु0} कुल 05,18,70,000/- (पांच करोड़ अठारह लाख सत्तर हजार) रु0 वर्ष 2016-17 में निकासी एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की गई है।

2. ग्रामीण विकास मंत्रालय, भूमि संसाधन विभाग, भारत सरकार के पत्रांक 15-7/2015-TE(WM)/2015-16 (Bihar) दिनांक 27.02.2017 द्वारा प्रधानमंत्री कृषि सिचाई योजना (PMKSY) जलछाजन विकास अन्तर्गत समेकित जलछाजन प्रबंधन कार्यक्रम (IWMP) योजना कार्यान्वयन हेतु वर्ष 2016-17 के लिए 09,07,00,000/- (नौ करोड़ सात लाख) रु0 द्वितीय किस्त केन्द्रांश की राशि विमुक्त किया गया है।

3. कुल स्वीकृत अनुसूचित जाति वर्ग की राशि 05,18,70,000/- (पांच करोड़ अठारह लाख सत्तर हजार) रु0 में से केन्द्रांश की राशि 3,11,20,000/- (तीन करोड़ ग्यारह लाख बीस हजार) रु0 का व्यय मुख्य शीर्ष- 2402 मृदा तथा जल संरक्षण, उपमुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष- 789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, मॉग संख्या-1, उपशीर्ष- 0202 एकीकृत जलसंभर प्रबंधन कार्यक्रम (आई.डब्लू.एम.पी.) विपत्र कोड- P2402007890202 विषय शीर्ष 31 06 सहायक अनुदान वेतनादि के अलावा अन्तर्गत वर्ष 2016-17 के बजट में उपबंधित राशि 20,00,00,000/- रुपये से विकलनीय होगा।

4. कुल स्वीकृत अनुसूचित जाति वर्ग की राशि कुल 05,18,70,000/- (पांच करोड़ अठारह लाख सत्तर हजार) रु0 में से राज्यांश की राशि 2,07,50,000/- (दो करोड़ सात लाख पचास हजार) रु0

का व्यय मुख्य शीर्ष- 2402 मृदा तथा जल संरक्षण, उपमुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष- 789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, मॉग संख्या-1, उपशीर्ष- 0302 एकीकृत जलसंभर प्रबंधन कार्यक्रम (आई.डब्लू. एम.पी.) विपत्र कोड- P2402007890302 विषय शीर्ष 31 06 सहायक अनुदान वेतनादि के अलावा अन्तर्गत वर्ष 2016-17 के बजट में उपबंधित राशि 13,33,30,000/- रुपये से विकलनीय होगा।

5. भूमि संरक्षण निदेशालय, बिहार, पटना के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा सचिवालय कोषागार विकास पटना से स्वीकृत राशि की निकासी हेतु विपत्र बी0टी0सी0 फार्म 46 में तैयार किया जायेगा तथा कोषागार पदाधिकारी द्वारा विपत्र पारित कर अंतर विभागीय अंतरण जमा के माध्यम से राशि बिहार वाटरशेड डवलपमेंट सोसाइटी, पटना के पी0एल0 खाता संख्या PLA-265 में अंतरित की जायेगी। यह निकासी मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, BWDS पटना से प्राप्त पूर्व प्राप्ति रसीद के आलोक में की जायेगी। निकासी की गई राशि के विरुद्ध उपयोगिता प्रमाण पत्र समय पर महालेखाकार/कृषि विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा। महालेखाकार को अंकेक्षण का अधिकार होगा, साथ ही बिहार वित्तीय नियमावली के नियम 341 के अनुरुप अंकेक्षित लेखा विवरणी उपलब्ध कराने की भी अनिवर्यता होगी। कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा उक्त योजना का अलग से लेखा संधारण सुनिश्चित किया जायेगा। योजनान्तर्गत राशि का भुगतान PFMS (Public Finacial Management System) के माध्यम से किया जायेगा।

6. इस राशि से वाहन/फोटोकॉपियर/वीडियो रिकॉर्डर/प्रोजेक्टर का क्रय, कोई स्थाई भवन निर्माण एवं अन्य पूजीगत वस्तूओं के निमार्ण की अनुमति नही होगी। भूमि संसाधन विभाग के पत्रांक K-11012/25/2009-IWMP9IS0 दिनांक 14.09.2009 के अनुपालन में वित्त एवं लेखा से सम्बंधित कर्मी का राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी (SLNA) में होना अनिर्वाय होगा। इस स्तर पर कोई नई परियेाजना नही लेकर चालू योजना को संतृप्त करने का कार्य किया जायेगा। जहॉ ग्रामीण विकास विभाग द्वारा संचालित National Rural Livelihood Mission (NRLM) का कार्यान्वयन किया जा रहा है उन क्षेत्रों में जीविकोपार्जन (Livelihood support Activities) से सम्बंधित कार्य NRLM से कनवरजेंस के द्वारा कराया जायेगा। भूमि एवं जल संरक्षण कार्यो को मनरेगा (MGNREGA) से कनवरजेंस के रुप में सम्बद्ध कराया जा सकता है। पारदर्शिता एवं जागरुकता हेतु सभी योजना स्थल पर परियोजना/योजना का नाम, योजना संख्या, प्राक्कलित राशि, व्यय की गई राशि, एवं अक्षांश-देशान्तर सहित अन्य महत्वपूर्ण सूचना अंकित सूचना पट का होना अनिवार्य है। योजना कार्यान्वयन के सम्बंध में प्रशासी विभाग द्वारा यथा आवश्यक निर्णय लिया जा सकता है।

7. मंत्रिमंडल संचिवालय विभाग की अधिसूचना संख्या 602 दिनांक 20.03.2007 तथा वित्त विभाग के संकल्प संख्या-96वि0(2)दिनांक 03.01.2008 में निहित प्रावधान के आलोक में उक्त योजना के कार्यान्वयन में मंत्रिपरिषद की स्वीकृति संचिका संख्या 11/कृ.नि.भू.सं.(यो) 24/2014 के पृ0 26/टि0 पर दिनांक 28.03.2015 / संचिका संख्या पी0पी0एम0-55/2012 के पृ0 सं 19/टि0 पर दिनांक 17.08.2012 को प्राप्त है।

8. वित्त विभागीय परिपत्र संख्या 7355वि0(2) दिनांक 05.10.2007 के आलोक में महालेखाकार बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नही है।

9. राज्योदश में आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या 11/कृ.नि.भू.सं.(यो.) 24/2014 के पृ0 101/टि0 पर दिनांक 08.03.2017 को प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

9.3.2017

(सुधीर कुमार)

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक - 1132 /भू0सं0, पटना, दिनांक 9/3/2017

प्रति :- 1. प्रभारी पदाधिकारी अंकेक्षण, महालेखाकार (ले0ह0) कार्यालय, वीरचन्द पटेल पथ पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग, बिहार, पटना/भूमि संसाधन विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3. कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

9.3.2017

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक - 1132 /भू0सं0, पटना, दिनांक 9/3/2017

प्रति :- 1. माननीय मंत्री, कृषि बिहार के आप्त सचिव/ श्री अमित कुमार, निदेशक (ज0वि0) भूमि संसाधन विकास, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार/ विकास आयुक्त, बिहार -सह- अध्यक्ष, BWDS के प्रधान आप्त सचिव/कृषि उत्पादन आयुक्त, बिहार के प्रधान आप्त सचिव एवं प्रधान सचिव, कृषि विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

2. कृषि निदेशक, बिहार/मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, BWDS/ निदेशक उद्यान, बिहार/ निदेशक, भूमि संरक्षण, बिहार/ सभी संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/ सभी संबंधित जिला पदाधिकारी/निदेशक, पी0पी0एम0, कृषि विभाग/संयुक्त कृषि निदेशक (योजना), कृषि निदेशालय, बिहार, पटना/सम्बंधित प्रमंडलीय संयुक्त कृषि निदेशक/उप निदेशक (शष्य) भूमि संरक्षण, दक्षिणी बिहार परिक्रम, पटना/सभी जिला स्तरीय उप निदेशक (कृषि अभियंत्रण) भूमि संरक्षण/सभी योजना कार्यान्वयन पदाधिकारी -सह- सहायक निदेशक (शष्य) भूमि संरक्षण/उप निदेशक (शष्य) भूमि संरक्षण, मुख्यालय -सह- निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, भूमि संरक्षण निदेशालय, बिहार, पटना/मुख्यालय स्थित सभी संबंधित पदाधिकारीगण/प्रभारी बजट पदाधिकारी, कृषि विभाग एवं भूमि संरक्षण निदेशालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। उप कृषि निदेशक (सूचना) बिहार, पटना एवं आई0टी0मैनेजर कृषि विभाग को विभागीय बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

9.3.2017

सरकार के प्रधान सचिव।